



2026:AHC: 176750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5516 वर्ष 2025

विजय सिंह पूर्व लेखपाल

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विश्वेंद्र सिंह

न्यायालय संख्या- 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

- पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को होल्टिंग ब्रीफ विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव; विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।
- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी विजय सिंह (पूर्व लेखपाल) द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-9, आगरा द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.6.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा थाना मनसुखपुरा, जिला आगरा में भा.द.सं. की धाराओं 332, 353, 427, 323, 504 और 506 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 53 वर्ष 2006 से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 289 वर्ष 2007 (राज्य बनाम अजय और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 6.2.2025 को पुष्ट किया गया था।
- निर्णय दिनांक 6.2.2025 के माध्यम से, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अजय कुमार और मोहन प्रकाश द्वारा दोष स्वीकार करने के आधार पर, उन्हें पूर्वोक्त धाराओं के अंतर्गत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और कुल 3,400/- रुपये के जुर्माने की राशि का दंडादेश दिया। यह आगे निर्देश दिया गया था कि जुर्माने के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, अभियुक्त पांच माह का साधारण कारावास भुगतेंगे।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15.10.2006 को दोपहर लगभग 1:00 बजे हुई एक घटना के संबंध में दर्ज की गई थी, और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी तिथि को दोपहर 2:30 बजे पुलिस थाना मनसुखपुरा, जिला आगरा में मुकदमा अपराध संख्या 53 वर्ष 2006 के रूप में दर्ज की गई थी। वाद के विवेचना के पश्चात, एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था।

5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणवादी/शिकायतकर्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मांगते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर पहले ही समाप्त कर दिया गया था और मामला द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के स्तर पर रखा गया था। उक्त आवेदन अभी भी विचारार्थ लंबित था, और उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

6. इस बीच, विपक्षी संख्या 2 और 3 ने दोष स्वीकार करने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और कथित संस्वीकृति के आधार पर, अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया और पूर्वोक्त धाराओं के प्रावधानों के अंतर्गत केवल जुर्माने के भुगतान का दंडादेश दिया गया।

7. पुनरीक्षणवादी के अनुसार, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत द.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 16.01.2025 को न्यायनिर्णीत किए बिना वाद को निर्णीत करने के लिए आगे बढ़ा।

8. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मनमाना है और विवेक के अप्रयोग पर आधारित है। विद्वान विचारण न्यायालय मामले की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में विफल रहा और शिकायतकर्ता के अधिकारों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना कथित दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद को निस्तारित करने के लिए आगे बढ़ा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय और आदेश दिनांक 6.2.2025 और 11.06.2025 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के भार के विरुद्ध हैं और अटकलों और अनुमानों के आधार पर पारित किए गए हैं।

10. विद्वान अपीलीय न्यायालय भी अपने आवेदन दिनांक 16.01.2025 के लंबित रहने के संबंध में पुनरीक्षणवादी/अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहा और कार्यवाहियां संपन्न हो गई थीं।

11. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.02.2025 के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.06.2025 विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

12. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि पुनरीक्षणवादी/शिकायतकर्ता एक पूर्व लेखपाल है और अभियोजन के वृत्तांत के अनुसार 15.10.2006 को, उसे जिला मजिस्ट्रेट और चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार फोटो पहचान पत्र तैयार करने के प्रयोजन से तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर शिव राम सिंह के साथ ग्राम पंचायत रेहा के गांव कुर्कियापुरा मजरा में प्रतिनियुक्त किया गया था। फोटोग्राफी के दौरान, अभियुक्त अजय कुमार पुत्र छोटे लाल और मोहन प्रकाश शर्मा वहां आए और फोटोग्राफी पर आपत्ति जताई। जब शिकायतकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि तस्वीरें जिला मजिस्ट्रेट और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसरण में ली जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके गांव में किसी भी फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्पश्चात, उन्होंने शिकायतकर्ता को गालियां दीं, और उस पर हमला किया और उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न की। पूर्वोक्त के आधार पर, आपराधिक वाद दर्ज किया गया था।

13. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क यह है कि दोषसिद्धि केवल दोष स्वीकार करने के आधार पर दर्ज की जा सकती थी, विशेष रूप से तब जब शिकायतकर्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मांगा था और द.प्र.सं. की धारा 311 के अंतर्गत आवेदन लंबित था। उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक प्रभावी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था लेकिन वाद के निर्णीत होने से पूर्व उसके आवेदन पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने और अभिलेख के परिशीलन पर, इस न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्वोक्त शिकायत से पुनरीक्षणवादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मानते हुए भी कि शिकायतकर्ता/पुनरीक्षणवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था और उसने अभियोजन के प्रकरण के समर्थन में उसे प्रस्तुत नहीं किया था, वाद के स्वीकृत तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, अंतिम परिणाम अभियुक्त की दोषसिद्धि ही होता। परिणामस्वरूप, केवल इसलिए कि उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी, पुनरीक्षणवादी के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव या न्याय की विफलता होना नहीं कहा जा सकता है, जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के माध्यम से वह जो परिणाम प्राप्त करना चाहता है, अर्थात्, अभियुक्त की दोषसिद्धि, वह अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई थी।

15. अगली शिकायत अभियुक्त को दिए गए दंडादेश की मात्रा और प्रकृति से संबंधित है। इस संबंध में भी, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाई गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मूल कारावास के बजाय जुर्माने का दंडादेश देने में अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया है। प्रासंगिक आपराधिक प्रावधान न्यायालय को, विधि द्वारा विहित सीमाओं के भीतर, यथास्थिति, जुर्माने या मूल कारावास, या दोनों का दंडादेश देने की अनुमति देते हैं।

16. वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, दंडादेश देने वाले न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग को मनमाना, विकृत या विधि के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। यह प्रदर्शित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि दिया गया दंडादेश या तो असंगत है या वैधानिक योजना के विपरीत है।

17. यह सुस्थापित है कि, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, यह न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि एक भिन्न दृष्टिकोण या दंडादेश संभव है। हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक होता है जब आक्षेपित आदेश स्पष्ट तात्त्विक अनियमितता, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता, या मनमाने ढंग से क्षेत्राधिकार के प्रयोग से ग्रस्त हो। वर्तमान वाद में ऐसी कोई दुर्बलता दिखाई नहीं देती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. इस प्रकार, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में विधि, तथ्यों या क्षेत्राधिकार की कोई ऐसी त्रुटि नहीं पाता है, जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग करती हो।

19. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण गुण-दोष रहित है और **खारिज** किया जाता है।

19 अगस्त, 2026

देव

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”